भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या – 665
(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 जुलाई, 2014 को दिया गया)

कंपनी अधिनियम में संशोधन

665. श्री पि. भट्टाचार्य :
श्री के. सी. त्यागी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कंपनी अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 पिछले वर्ष ही बनाया गया है और अब तक इसके आधे से अधिक उपबंध लागू किए गए हैं। लागू किए गए उपबंधों से उठने वाले मामलों का समाधान सरकार द्वारा परिपत्र, समुचित सांविधिक आदेश जारी करके तथा नियमों में संशोधन करके किया जा रहा है ताकि संदेह अथवा व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इस स्तर पर कानून में संशोधन करने पर विचार करना असामयिक होगा।

*****